



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तला, सेक्टर-एच, अलीगढ़, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aligarh, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffrolko@gmail.com

पत्र सं० ८बी/यू.पी./०९/१५६/२०१३/एफ.सी. / ४४

दिनांक: १७/५/१६

सेवा में,

प्रमुख संविवेत्ता,
वन अनुपालन, ६वा तला,
वापु भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषय: जनपद बरेली में पॉवर ग्रिड कार्पो० इण्डिया लिं० द्वारा 765 के०वी० निर्माणाधीन सब स्टेशन हंसा हंसिनी, बरेली को 400 के०वी० सब स्टेशन आटामाडा, बरेली से जोड़ने हेतु 0.1725 हेतु ० संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं प्रभावित ०९ वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक- 2344/11सी-बरेली, दिनांक- 30.06.2015 एवं पत्रांक- 2103/11सी-बरेली, दिनांक- 31.03.2016

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक- 836/11सी-बरेली- ५४, दिनांक- 23.10.2013 का आशय ग्रहण करने का काट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयाकृत प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के रागसर्व्यक पत्र दिनांक- 19.02.2014 द्वारा प्रस्ताव में सौम्यानिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसकी उल्लिखित शर्तों की अनुपालना मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश के उपरोक्त सदर्गति पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विवारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि कन्द्र सरकार जनपद बरेली में पॉवर ग्रिड कार्पो० इण्डिया लिं० द्वारा 765 के०वी० निर्माणाधीन सब स्टेशन हंसा हंसिनी, बरेली को 400 के०वी० सब स्टेशन आटामाडा, बरेली से जोड़ने हेतु 0.1725 हेतु ० संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं प्रभावित ०९ वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा। यह वृक्षारोपण विधिवत् स्वीकृति जारी होने के एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाएगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे रिक्त पड़े स्थानों पर छोटे पौधों विशेषकर औषधीय पौधों का यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा।
4. अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.टी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।
5. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।

[Signature]


6. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिटटी/पथर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।
7. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैंस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
10. प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्टाम्पों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। प्रत्येक पीलर पर कमांक.डी०जी०पी०एस० निवेशांक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जाएगी। उक्त सीमांकन का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 03 माह के भीतर पूर्ण किया जाएगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।
12. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की रिप्पति में केन्द्र सरकार द्वारा रवीकृति को निररत करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (के०)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरावार रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. निदेशक (आर०ओ०ए०त०क्य०) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरावार रोड, नयी दिल्ली-110003.
3. गोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली, उत्तर प्रदेश।
5. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बरेली, उत्तर प्रदेश।
6. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. श्री सुरेश मणि, मुख्य प्रबन्धक (गिर्माण), पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन आर्क इण्डिया लिं. शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश।
8. आदेश पत्रावली।


(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (के०)